and English versions) published in Notification No. S.O. 437(E) in Gazette of India dated the 7th July, 1978, under sub-section (4) of section 27 of the Interest-tax Act, 1974. [*Placed in Library. See* No. LT-2589/78]

(6) A copy each of Notifications Nos. G.S.R. 390(E) and 391(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 31st July, 1978, together with an explanatory memorandum, rescinding the provisions of Notifications Nos. 13-Customs and 14-Customs dated the 7th January, 1978, under section 159 of the Customs Act, 1962. [*Placed in Library See* No. LT-2590/78]

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि हम लोग जो गांवों से यहां आए है, किसान लोग, वह जब से इस सदन में किसी बात को रखते है तो उस को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। हम लोग एक साधारण बात समझने वाले लोग है। आय-कर, धन-कर, सम्पत्ति के ऊपर अतिकर, कम्पनी (लाभ) अतिकर, ब्याज-कर और सीमा शुल्क के अधिनियम इन सारे करो के नियमो में सरकार इतने संशोधन करती है। लेकिन इन नियमों में इतने सारे संशोधनों के बावजूद जो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उन के ऊपर लगभग 25 करोड़ रुपया सफेद धन के कर का बकाया है, काले धन का जो बाकी होगा वह तो अलग होगा। मैं समझता हू कि उन करो से संबंधित नियमो में जो सरकार संशोधन करती रही है और इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर जो कमीशन बैठाती रही है उन पर लगभग एक करोड़ रुपया सरकार का खर्च हो गया। लेकिन जब सरकार उन बड़े बड़े उद्योगपतियो और व्यापारियो से बकाया कर की वसूली करने में अक्षम है तो इन नियमो में संशोधन करने और उन संशोधनो को को सभापटल पर रखने का क्या महत्व है? हम तब तक नहीं मानेंगे कि सरकार का संशोधन सही है या सरकार सही संशोधन कर रही है जब तक यह 25 करोड़ रुपया जो उन के ऊपर बकाया है उसकी वसूली के लिए कुछ नहीं किया जायगा। यह सारे संशोधन बिल्कुल बेकार है और गांवो के हित मे, जनता के हित में इन संशोधनो का कोई महत्व नहीं है। आप संशोधन कर के सभा पटल पर रखते रहिए लेकिन जनता के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं आपत्ति उठा रहा हूं। कानून की नजर में यह सही हो, नियमो की नजर मे यह सही हो या नहीं लेकिन गांव के रहने वाले लोग यह जानना चाहते हैं कि जो बकाया है उसको वसूल करने में रुकावट जल्दी क्यों नहीं करना चाहती है।

12.15 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to enclose a copy of the Coast Guard Bill, 1978, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd August, 1978."

12.15½ hrs.

COAST GUARD BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Coast Guard Bill, 1978, as passed by Rajya Sabha.

---

12 16 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

THREAT TO LIVES AND PROPERTIES OF HARIJANS IN KANJHAWALA VILLAGE, NEAR DELHI

SHRI V M SUDHEERAN (Alleppey): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"The reported situation prevailing in Kanjhawala village, near Delhi, directly threatening the lives and properties of Harijans."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, one hundred and twenty families of Harijans and other landless persons were allotted land in village Kanjhawala, Nangloi Block in the Union